राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Toll free Help line No.15100)

(E-mail:- rj-slsa.nic.in, rslsajp@gmail.com, Website:- www.rlsa.gov.in)

क्रमांकः–एफ–3/रालसा/पैनल अधिवक्ता/डीएस–II/8177 दिनांकः– 14-06-2017

आम सूचना

सर्व साधारण/विधि व्यवसायियों/अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व लीगल अवेयरनेस टीम के गठन हेतु इस कार्यालय द्वारा विधि व्यवसायियों के नाम ''पैनल अधिवक्ता'' के रूप में पैनलित किये जाने के लिए इच्छुक एवं पात्र विधि व्यवसायियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पात्रता : –

विधि व्यवसायी को न्यूनतम तीन वर्षो का विधिज्ञ का अनुभव होना आवश्यक है।

नोटः–

1. विधि व्यवसायी से तात्पर्य, अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड 'झ') में यथा परिभाषित से है।
2. उक्त पैनल तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा।
3. पैनल अधिवक्तागण की सेवायें, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व लीगल अवेयरनेस टीम के सदस्यों के रूप में ली जा सकेंगी।
4. पैनलित अधिवक्तागण कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन अपना कार्य एवं विधिक सेवा प्रदान करेंगे।
5. अधिवक्तागण को शुल्क एवं मानदेय उल्लेखित एवं सुसंगत प्रावधानों के अनुसार देय होगा। (वर्तमान में 500 रुपए प्रतिदिन व इसके अतिरिक्त नियमानुसार यात्रा व्यय देय है।)
6. इच्छुक आवेदक को अपना आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 05.07.2017 तक (कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक) प्रस्तुत करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

-sd-
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः–एफ–3/रालसा/पैनल अधिवक्ता/डीएस–II/8178-8180 दिनांकः– 14-06-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
2. नोड़ल अधिकारी, वेबसाईट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. नोटिस बोर्ड, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

उप सचिव–द्वितीय
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

upload on website
14/6/17

प्रारूप – क

पैनल अधिवक्ता हेतु आवेदन पत्र

1.	नाम	–	....
2.	पिता / पति का नाम	–	....
3.	सम्पूर्ण पत्र व्यवहार का पता मय दूरभाष नम्बर एवं ई–मेल पता	–	....
4.	बैंक खाता नम्बर	–	....
5.	आधार नम्बर	–	....
6.	वकालत का मुख्य स्थान	–	....
7.	एनरोलमेंट नम्बर मय वर्ष	–	....
8.	वकालात के अनुभव की अवधि	–	....
9.	वकालत का विनिर्दिष्ट क्षेत्र विशेष योग्यता / विषय	–	....
10.	वार्षिक आय	–	....
11.	ऐसे मामलों का प्रकार जिसके संबंध में आपको मामला सौंपे जाने में अधिमानता (Preference) दी जा सके। (इस संबंध में वृत्तिक(Professional) अनुभव का सबूत पेश करे)	–	....
12.	क्या पैनल अधिवक्ता नियुक्त होने पर पैनल अधिवक्ता (Panel Lawyer) के रूप में सेवा देने के लिए आप तैयार है :–	–	हाँ / नहीं
(क)	क्या आप अपना समय केवल विधिक सहायता कार्य में लगाने के लिये, और	–	हाँ / नहीं
(ख)	विधिक सेवा संस्था के प्रबंध / परामर्श कार्यालय में सदैव उपलब्ध रहने के लिए तैयार है?	–	हाँ / नहीं
13.	क्या आप स्वयं किसी न्यायिक प्रकरण में किसी न्यायालय या लोक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पक्षकार है या रहे है? (यदि हाँ तो विवरण दें)	–	....
14.	क्या आप बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के किसी पद पर है अथवा रहे है? (यदि हाँ तो विवरण दें)	–	....

उपरोक्त विवरण सही है व मैंने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया है।

दिनांक :–

स्थान :–

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर

संलग्नः– 1. अण्डर टेकिंग प्रमाण पत्र।
2. अनुभव प्रमाण पत्र (प्रकरण / विषय विशेष की रूचि के उल्लेख सहित)

अण्डर टेकिंग

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी .... एनरोलमेन्ट नम्बर .... अण्डर टेकिंग देता / देती हूँ कि मैं पैनल / रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किये जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं उसके तहत बनाये गये नियम विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठा पूर्वक पालना करूंगा / करूंगी। पैनल अधिवक्ता के रूप में जो प्रकरण मुझे पैरवी के लिये सुपुर्द किये जायेंगे उनसे संबंधित व्यक्तियों से कोई शुल्क, पारिश्रामिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करूंगा / करूंगी और न हीं प्राप्त करूंगा / करूंगी।

मुझे सुपुर्द किये गये कार्य में लापरवाही पाये जाने पर मुझे बिना नोटिस दिये हटाया जा सकेगा या दिया गया केस वापस लिया जा सकेगा जिसके लिये मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा / करूंगी।

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर